कानपुर नगर निगम

दिनांक 04.11.2019 की स्थगित बैठक जो दिनांक 08.11.2019

को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

समय प्रातः 11.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/413/सचिव (न0नि0)/2019–20

दिनांक :–29-11-2019

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती.....

पार्षद वार्ड सं0...../सदस्य कार्यकारणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 04.11.2019 को स्थगित बैठक जो दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 45 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

29/11/19

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक 08.11.2019 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/सभापति
2.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	सदस्य/उप सभापति
3.	श्री मो0 अमीम	सदस्य
4.	श्री जितेन्द्र	सदस्य
5.	श्रीमती रीता पासवान	सदस्य
6.	श्री लियाकत अली	सदस्य
7.	श्री जय प्रकाश पाल	सदस्य
8.	श्री अनूप कुमार शुक्ला	सदस्य
9.	श्री अवनीश खन्ना	सदस्य
10.	श्री दिनेश तिवारी	सदस्य
11.	श्री हाजी सुहैल अहमद	सदस्य
12.	श्री हरी शंकर गुप्ता	सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री अक्षय त्रिपाठी	नगर आयुक्त
2.	श्री अमृत लाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
3.	श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4.	श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त 'तृतीय'
5.	श्री रमेशचन्द्र निरंजन	मुख्य वित एवं लेखाधिकारी
6.	डॉ0 अमित सिंह गौर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7.	डॉ0 ए0के0 सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
8.	श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'
9.	श्री अम्रीश यादव	सहायक निदेशक "सी0सी0"
10.	श्री आर0के0पाल	पर्यावरण अभियन्ता

सभापति ने सर्वप्रथम नवागन्तुक नगर आयुक्त का कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वागत करते हुये नगर आयुक्त को अपना परिचय देते हुये एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने तद्नुसार कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अपना परिचय देते हुये सभी का स्वागत किया तथा अपर नगर आयुक्त "प्रथम" को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही संचालित करने के निर्देश दिये।

प्रस्ताव सं0–176

मा0 विधायक श्री अरूण पाठक,का प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा संस्तुत है पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार किया जाना :–

मा0 श्री अरूण पाठक, सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर्यो हेतु रू0 260.00 लाख के कार्यो की सैद्धान्तिक सहमति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित धनराशि रू0 260.00 लाख पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

..... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

प्रस्ताव सं0–177

मा0 कार्यकारिणी समिति दिनांक 04.09.19 के प्रस्ताव संख्या –159 (टेबुल) मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत :–

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट, भवसिंह पनकी के संचालन के सम्बन्ध में

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र के आम नागरिकों द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित किये जाने वाले अपशिष्ट के वैज्ञानित निस्तारण हेतु मेसर्स ए02जेड0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के साथ दिनांक 16.10.2010 को त्रिपक्षीय अनुबंध सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम के मध्य किया गया। उक्त अनुबंध के क्रम में संस्था द्वारा कलेक्शन, स्टोरेज एवं ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल का कार्य प्रारम्भ किया गया। जिसे उक्त कम्पनी अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित कार्यो को माह मार्च, 2015 तक किया गया तदोपरांत मेसर्स ए2जेड कम्पनी द्वारा दिनांक 11.04.2015 को कार्य पूरी तरह से बन्द कर दिया गया। कम्पनी के इस कृत्य पर इनके विरूद्ध दिनांक 17.05.2015 को पनकी थाना कानपुर नगर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या– 775/नौ–5–2016–49सा/15 दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा उक्त प्लाण्ट के संचालन हेतु एक नये कंसेशनायर मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0 इन्वायरमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज लि0 के तकनीकी प्रबंधन के अन्तर्गत मेसर्स अर्थ इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0लि0 का चयन किया गया। उक्त शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2016 के अनुपालन में प्लाण्ट के पुर्नगठन एवं संचालन हेतु दिनांक 24.12.2016 को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट उ0प्र0 शासन, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, नगर निगम, कानपुर मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0एस0 फाईनेन्शियल सर्विसेज लि0 तथा मेसर्स अर्थ इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0लि0 (ई0ई0एम0एस0पी0एल0) के मध्य किया गया था।

प्लाण्ट के संचालन हेतु किये गये अनुबंध दिनांक 24.12.2016 में प्रस्तावित इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अनुसार वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट का पुर्नसंचालन अनुबंध के अनुसार प्रारम्भ किया जाना है जिसमें अनुबंध की शर्तो के अनुसार जब तक कम्पोस्ट खाद एवं आर0डी0एफ0 के साथ–साथ पुराने कूड़े का निस्तारण किया

जायेगा जिस हेतु पुराने कूड़े के निस्तारण हेतु रू0 95/– प्रति टन एवं शेष बचे इनर्ट को 138/– रू0 की दर से नगर निगम द्वारा भुगतान किया जाना प्राविधानित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ठोस अपशिष्ट प्लाण्ट का संचालन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 के ऊअनुसार कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुसार प्लाण्ट के संचालन हेतु कार्यदायी फर्म को समय–समय पर विभिन्न नोटिस/पत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये किन्तु उक्त फर्म को भारत सरकार द्वारा टेकओवर कर लिये जाने के कारण फर्म द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों सहित पूर्ण क्षमता के साथ प्लाण्ट का संचालन न कर पाने के कारण नगर निगम कानपुर द्वारा अपने वित्तीय एवं उपकरणीय संसाधनों के साथ मानवबल लगा कर कार्यदायी संस्था के तकनीकी सहयोग से प्लाण्ट का संचालन विगत लगभग 10 माह से किया जा रहा है।

मा0 न्यायमूर्ति श्री देवी प्रसाद सिंह, चेयरमैन, यू0पी0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मानीटरिंग कमेटी द्वारा प्लाण्ट के निरीक्षण के दौरान रख–रखाव एवं संचालन पर रोष व्यक्त करते हुये कूड़े का शतप्रतिशत निस्तारण कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये है। संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त दिनांक 15.05.2019 को निर्गत प्रेस नोट में कानपुर नगर निगम की लापरवाही पर उसके ऊपर मा0 एन0जी0टी0 को 15 करोड़ रूपये पर्यावरणीय हर्जाना लगाये जाने की सिफारिश की गई है और कानपुर नगर निगम के प्रबन्ध तंत्र के विरूद्ध कार्यवाही करने और दण्ड आरोपित करने की सिफारिश भी की गई है। मा0 एन0जी0टी0/मा0 कमेटी द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 में निहित व्यवस्था के अनुसार कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशानुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट कानपुर में पूर्व से संग्रहित पुराने कूड़े को निस्तारित किये जाने हेतु दिनांक 30.05.2019 को Expression of Interest (EoI) आमंत्रित करते हुये किसी अन्य संस्थ को अनुबंधित करने का कार्य प्रगति पर है जिसमें वित्तीय प्रस्ताव की प्रक्रिया लम्बित है।

शहर के नागरिकों के जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्ण वैज्ञानिक विधि से ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्लाण्ट का संचालन कराये जाने हेतु विशेषज्ञ फर्मो विचार विमर्श किया गया जिसके सापेक्ष मेसर्स राघवी इन्फोकॉम एण्ड मीडिया प्रा0लि0, थाने वेस्ट, महाराष्ट्रा द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2019 के माध्यम से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट भवसिंह पनकी का रखरखाव एवं संचालन किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें इस नई फर्म को दिनांक 24.12.2016 को निष्पादित "प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन एग्रीमेन्ट" जो उ0प्र0 शासन, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, नगर निगम कानपुर, मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0एस0 फाइनेन्शियल सर्विसेज लि0 तथा मेसर्स अर्थ इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0लि0 (ई0ई0एम0एस0पी0एल0) के मध्य किया गया था, में निहित सभी शर्तो के साथ मेसर्स आई0ई0आई0एस0एल0 के तकनीकी सहयोग से कार्य करने का प्रस्ताव है एवं उक्त निष्पादित "अनुबंध की शर्तो के अनुसार पुराने कूड़े के निस्तारण हेतु रू0 95/–प्रति टन एवं शेष बचे इनर्ट को 138/– रू0 की दर से नगर निगम द्वारा भुगतान किया जाना प्राविधानित है।" के अनुरूप प्रस्तुत देयकों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के साथ–साथ यह भी संज्ञान में लाना है कि नगर निगम लखनऊ में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु वर्तमान में 700/– प्रति मै0टन की दर से भुगतान किया जा रहा है एवं वर्तमान में कानपुर सॉलिड वेस्ट प्लाण्ट पर अनुमानित 18 से 20 लाख मै0टन पुराना कूड़ा पड़ा है जिसके निस्तारण पर अनुमानित रू0 150.00 से 175.00 करोड़ के व्यय की सम्भावना है।

अतः जनहित में मा0 एन0जी0टी0 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 के दृष्टिगत शहर के नागरिकों के जनस्वास्थ्य को संज्ञान में रखते हुये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट का संचालन मेसर्स आई0ई0आई0एस0एल0 के तकनीकी सहयोग से मेसर्स राघवी इन्फोकॉम एण्ड मीडिया प्रा0लि0 के माध्यम से दिनांक 24.12.2016 को निष्पादित बहुपक्षीय अनुबंध की शर्तो के अधीन कराये जाने की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी से अपेक्षित है।

नगर आयुक्त ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि पूर्व में सन्दर्भित पर अनुबन्ध एटूजेड से हुआ था, जिसमें अभी भी प्रापर्टी का विवाद है। इस कारण मैं प्रस्ताव सं0–2 व 3 को स्वीकृत किये जाने के पक्ष में नही हूँ साथ ही अवगत कराया कि निविदा के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही कराई जायेगी। शासन स्तर से निविदा प्रक्रिया हेतु सहयोग प्राप्त होगा। उक्त कार्यवाही हेतु सीधे किसी कम्पनी का चयन उचित नही है, निविदा प्रक्रिया अपनायी जाये।

..... **सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण एवं प्रबन्धन उ0प्र0 शासन के संज्ञान में लाते हुये निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कम्पनी के चयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव सं0–178

मा0 कार्यकारिणी समिति दिनांक 04.09.19 के प्रस्ताव संख्या –160 (टेबुल) मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत "वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट" के संचालन के संबंध में।

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र के आम नागरिकों द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित किये जाने वाले अपषिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु मेसर्स ए02जेड0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के साथ दिनांक 16.10.2010 को त्रिपक्षीय अनुबंध सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम के मध्य किया गया। उक्त अनुबंध के क्रम में संस्था द्वारा कलेक्षन, स्टोरेज एवं ट्रांसपोर्टेषन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं उक्त परियोजना में मेसर्स ए02जेड0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा निजी संसाधनों से 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट–2 एनर्जी प्लाण्ट का निर्माण कर संचालन प्रारम्भ किया गया था। जिसे उक्त कम्पनी अनुबंध के अनुसार निर्धारित कार्यों को माह मार्च, 2015 तक किया गया तदोपरांत मेसर्स ए2जेड कम्पनी द्वारा दिनांक 11.04.2015 को कार्य पूरी तरह से बन्द कर दिया गया। कम्पनी के इस कृत्य पर इनके विरूद्ध दिनांक 17.05.2015 को पनकी थाना कानपुर नगर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

उ0प्र0 शासन नें अपने पत्र संख्या–775/नौ–5–2016–49सा/15, दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा उक्त प्लाण्ट के संचालन हेतु एक नये कंसेषनायर मेसर्स आई0एल0एण्डएफ0 इन्वायरमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि0 का चयन किया गया। उक्त शासनादेष दिनांक 18 मार्च, 2016 के बिन्दु संख्या–6 में नयी एस0पी0वी0 द्वारा अपने निवेष के माध्यम से "वेस्ट टू इनर्जी" प्लाण्ट के पुनरूद्धार की कार्यवाही निहित थी। जिसके अनुपालन में प्लाण्ट के पुर्नगठन एवं संचालन हेतु दिनांक 24.12.2016 को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेषन एग्रीमेंट उ0प्र0 शासन, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, नगर निगम कानपुर, मेसर्स

आई0एल0एण्डएफ0एस0 फाईनेन्षियल सर्विसेस लि0 तथा मेसर्स अर्थ इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा0लि0 (ई0ई0एम0एस0पी0एल0) के मध्य किया गया था जिसमें प्लाण्ट के संचालन हेतु किये गये अनुबंध दिनांक 24.12.2016 में प्रस्तावित इम्प्लीमेंटेषन प्लान के अनुसार वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट का पुर्नसंचालन अनुबंध के अनुसार प्रारम्भ किया जाना था।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ठोस अपषिष्ट प्लाण्ट का संचालन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 के अनुसार कराये जाने हेतु दिये गये निर्देषों के अनुसार प्लाण्ट के संचालन हेतु कार्यदायी फर्म को समय–समय पर विभिन्न नोटिस/पत्रों के माध्यम से निर्देष निर्गत किये गये किन्तु उक्त फर्म को भारत सरकार द्वारा टेकओवर कर लिये जाने के कारण फर्म द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों सहित पूर्ण क्षमता के साथ प्लाण्ट का संचालन न कर पाने के कारण नगर निगम कानपुर द्वारा अपने वित्तीय एवं उपकरणीय संसाधनों के साथ मानवबल लगा कर कार्यदायी संस्था के तकनीकी सहयोग से प्लाण्ट का संचालन विगत लगभग 10 माह से किया जा रहा है किन्तु अनुबंध दिनांक 24.12.2016 में प्रस्तावित इम्प्लीमेंटेषन प्लान के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट का पुर्नसंचालन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 में निहित व्यवस्था एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुपालन में से शहर से संग्रहीत अपषिष्ट से विद्युत तैयार करने हेतु प्लाण्ट की स्थापना के साथ–साथ उसके रखरखाव एवं संचालन का कार्य किया जाना है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा अपने पत्र संख्या–डी/705/तह.–3/का0वि0प्रा0/2019–20, दिनांक 24.06.2019 के द्वारा ठोस अपषिष्ट प्रबंधन हेतु प्राधिकरण द्वारा ग्राम सुरार में 18.373 हे0 एवं सेन पूरब पारा में 10.696 हे0 भूमि चिन्हित की गयी हैं।

अतः जनहित में मा0 एन0जी0 टी0 एंव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स–2016 के दृष्टिगत शहर के नागरिकों के जनस्वास्थ्य एवं शहर के उत्सर्जित अपषिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के दृष्टिगत रखते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ठोस अपषिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित भूमि पर उ0प्र0 शासन के निर्देषानुसार चयनित किसी संस्था के माध्यम से "वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट" की स्थापना, Construction & Demolition Waste Management Plant (निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट प्रबंधन संयंत्र) की स्थापना एवं अन्य प्रकार के विकेन्द्रीकृत कूड़ा प्रबंधन का कार्य कराये जाने की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति से अपेक्षित है।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि सन्दर्भित पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 के तहत अपशिष्ट निस्तारण तथा प्रबन्धन कराया जायेगा, जिससे नगर निगम को आय भी होगी साथ ही के0डी0ए0 से वार्ता कर तद्नुसार कार्यवाही कराई जायेगी।

..... तद्नुसार कानपुर विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–179</u>

श्री विजय यादव मा0 पार्षद वार्ड नं0–54 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

केशवपुरम कल्याणपुर में केसा सब स्टेशन के पास स्थित सेम्बेल की क्षमता मात्र 3000 घरों की है जबकि वर्तमान में लगभग 20,000घर इससे आच्छादित हैं जिससे आये दिन इस सेम्बेल की मोटर फुंक जाती हैं। या तो इसकी क्षमता बढ़ायी जाए या नया सेम्बेल बनाया जाए तभी क्षेत्रीय जनता को सीवेज समस्या से निजात मिल सकती है।

अस्तु आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरा उक्त प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी में शमिल करने की कृपा करें।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि वर्णित स्थल पर जलभराव बना रहता है, इसका समाधान कराया जाये।

महाप्रबन्धक 'जलकल' ने अवगत कराया कि इस समस्या के निराकरण हेतु लगभग रू0 09.00 लाख का व्यय आयेगा, जिसमें 50–50 एच0पी0 के दो नये सम्पवेल लगाये जायेंगे, इसकी स्वीकृति चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त की जा चुकी है।

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक जलकल से पूछा कि क्या यह कार्य कराने से स्थल पर जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा, जिस पर महाप्रबन्धक 'जलकल' ने अवगत कराया कि उक्त कार्य हो जाने के स्थल पर समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

..... केशवपुरम् कल्याणपुर केसा सब स्टेशन के पास नये सम्पवेल बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–180</u>

श्री विजय कुमार पार्षद मा0 पार्षद वार्ड नं0–44 के श्री राम सिंह ,प्रधान सचिव भोजपुरी समाज कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

भोजपुरी समाज कानपुर एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है जिसके संस्थापक स्व0 एस0के0सिंह रहें चूँकि स्व0 डा0 सिंह एक वरिष्ठ चिकित्सक के साथ–साथ एक कर्मठ समाज सेवी भी रहे है जो अपने सेवा काल के वाद भी अंतिम समय तक अपने समाज के माध्यम से कानपुर वासियों को हर दृष्टिकोण से अपनी सेवा दी है जो कानपुर के प्रशासन,शासन एवं कानपुर वासियों को भलि भॉति जानकारी रही है।

महोदया भोजपुरी समाज कानपुर की वर्तमान केन्द्रिय कार्यकारिणी चाहती है कि अपने पूर्व अध्यक्ष स्व0 एस0के0सिंह के निवास स्थान 267 लखनपुर,हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाईटी में निवास स्थान के पास के चौराहे पर एक चौराहा स्तम्भ का रूप तथा नाम देकर चौराहे और सड़क को स्व0 एस0के0सिंह मार्ग के नाम से चिन्हित कर दिया जाए चौराहा स्तम्भ का या जो अन्य खर्च होगा वह भोजपुरी समाज द्वारा वहन किया जायेगा।

महोदया आप से नम्र निवेदन है कि इस कार्य के लिए आप अपनी अनुशंसा प्रदान करने का कष्ट करें हम सबके तरफ से स्व0 एस0के0सिंह के लिये सच्ची श्रद्धाजंली होगी एवं भोजपुर समाज कानपुर सदैव आपका आभारी रहेगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि स्थलीय परीक्षण कर दिखवा लें कि इससे अवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

..... माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थल पर कोई भी नई मूर्ति लगाया जाना प्रतिबन्धित है। अतः चौराहे और सड़क को स्व0 एस0के0 सिंह मार्ग के नाम से नामकरण किये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–181

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' मा0 पार्षद वार्ड नं0–61 एवं अन्य श्री महेन्द्र पाण्डेय–पप्पू,उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :– स्वरूप नगर कानपुर स्थित शिवा जी चौराहे से दि चाट चौराहे तक मार्ग का नामकरण मधुराज लेन किये जाने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि प्रख्यात चिकित्सक डा0 राज लूम्बा एवं प्रख्यात स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा0 (श्रीमती) मधु लूम्बा वर्ष 1982 से मधूराज नर्सिग होम,स्वरूप नगर में कुशल संचालन एवं प्रबन्धन किया जा रहा है तथा इनके नर्सिग होम में महानगर के प्रख्यात शल्य चिकित्सक ,बाल रोग चिकित्सक एवं अन्य रोगों के चिकित्सक जुड़कर शहर के नागरिको को सतत एवं सर्वोत्तम चिकित्सा प्रदान करते है जिससे मधुराज नर्सिग होम में गम्भीर बीमारियों से ग्रसित रोगी इनकी सेवा भावना एवं इलाज से स्वस्थ व प्रसन्नचित होकर अपने घर चले जाते है।

अतः मधुराज नर्सिग विगत 37 वर्षो से महानगर की सतत एवं उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं दृष्टिगत रखते हुए शिवाजी गेट चौराहे से दि चाट चौराहे तक के मार्ग का नाम मधुराज लेन करने की मॉग की जाती है। कृपया निवेदन है कि मा0 कार्यकारिणी समिति में उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृत/विचारार्थ रखने का कष्ट करें।

..... तद्नुसार परीक्षण करते हुये कि स्थल का पूर्व से कोई नामकरण नही है, तो स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–182

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव श्रीमती सचान,बी–413 बर्रा–7 कानपुर द्वारा मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ।

विषय :– अमर शहीद विशाल सचान जी की स्मृति मे शहीद विशाल चौक निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

मै संगीता सचान जोकि बी–413 ई0डब्लू0एस0 बर्रा–7 की निवासी हूँ। मेरा बड़ा पुत्र शहीद विशाल सचान भारतीय वायुसेना में था जोकि पिछले साल 15 जुलाई 2018 को शहीद हो गये थे। उनकी स्मृति में बर्रा–6 स्थित ग्रीन बेल्ट पर एक विशाल चौक का निर्माण करवाया जाये। यह भारत माता के सच्चे सपूत के प्रति एक सच्ची श्रद्धॉजलि होगी। तथा जिससे लोगो द्वारा अमर शहीद विशाल सचान जी के द्वारा दिये गये वलिदान को हमेशा याद किया जा सके।

अतः आपसे निवेदन है कि इस पुण्य कार्य को जल्दी करवाने की कृपा करें। हम सब शहीद परिवार के सदस्य एवं बर्रा–7 के समस्त निवासी आपके आभारी रहेगें।

नगर आयुक्त ने कहा कि इसकी डिजाइन ग्रीनरी के दृष्टिगत बनाते हुये कार्य कराया जाये।

..... **माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में विधिक परीक्षण कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–183

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ।

विषय :– वि0स0 सिकन्दरा के विधायक स्व0 मथुरा प्रसाद पाल के नाम छपेड़ा पुलिया चौराहा से देवकी पैलेस चौराहे तक के मार्ग का नाम स्व0 मथुरा प्रसाद पाल मार्ग करने के सम्बन्ध में।

हम समस्त लोग आपसे अनुरोध करते है कि स्व0 मथुरा प्रसाद पाल विधायक सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र का लम्बी बीमारी के कारण निधन 26 जुलाई 2017 को हो गया था। उ0प्र0 के मुख्यमंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास पर संवेदना व्यक्त करते हुये आश्वस्त किया था कि सिकन्दरा के विधायक मथुरा प्रसाद पाल को भाजपा ने एक सक्रिय कार्यकर्ता खो दिया है जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति सम्भव नहीं है। उन्होने आश्वासन दिया था कि शीध्र ही उनके नाम से मार्ग व प्रतिमा लगाई जायेगी।

स्व0 मथुरा प्रसाद पाल के नाम देवकी पैलेस चौराहा से छपेड़ा पुलिया के मार्ग का नाम मथुरा प्रसाद पाल मार्ग व प्रतिमा लगाने की मॉग की है। उक्त मार्ग व प्रतिमा लगाने की मांग की है। उक्त मार्ग पर स्व0 मथुरा प्रसाद पाल का निवास भी है।

आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त मांग को स्वीकार करते हुए शीध्र ही कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव पारित करते हुए हमें अवगत कराने की कृपा करेंगें।

..... **तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–184

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ।

विषय : कानपुर में बाबूपुरवा स्थित ट्रान्सपोर्ट नगर में सड़क का नगर निगम,कानपुर से लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण कर आर0सी0सी0 रोड के निर्माण के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र दिनांक –17.09.19 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसमें शासन के पत्रांक–1401 सा0/23–1219–03 सा0/19 दिनांक–28.08.19 का उल्लेख करते हुए बाबूपुरवा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 150 एवं 100 फीट सड़को को नगर निगर कानपुर से लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर आर0सी0सी0 रोड के निर्माण में कार्यवाही किए जाने का उल्लेख किया गया है।

अतएव् उपर्युक्त के कम में बाबूपुरवा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 150 एव 100 फिट सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कराया गया है,जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क0 सं0	सड़क/कार्य का नाम	सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई
1	जोन–3 वार्ड –39 के अर्न्तगत ट्रांसपोर्ट नगर में नया पुल से कैनाल रोड तक। (100 फिट)	अनुमानित लम्बाई 887 मी0 अनुमानित चौड़ाई 9 मी0
2	जोन–3 वार्ड –39 के अर्न्तगत ट्रांसपोर्ट नगर में बाकरगंज चौराहा से जूही नहरिया तक। (150 फिट)	अनुमानित लम्बाई 1013 मी0 अनुमानित चौड़ाई 15 मी0

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि नगर निगम अभियन्त्रण खण्ड–3 द्वारा उक्त सड़को पर कोई कार्य प्रस्तावित नही है। अतः सक्षम स्तर की स्वीकृति दिनांक–27.09.19 के कम में मा0 नगर निगम,सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नियमानुसार उक्त सड़को के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रदान की जाती है।

नगर आयुक्त ने कहा कि उपरोक्त वर्णित दोनो सड़कों का निर्माण प्रयोग के तौर पर पी0डब्ल्यू0डी0 से कराया जा रहा है साथ ही महानगर की ऐसी सड़कों को जिनको हम आर्थिक कठिनाई के कारण ठीक नही करा पा रहे है, उन्हें लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव भी तैयार कराया जा रहा है।

..... **ऐसी सड़कों को जिनका नगर निगम मरम्मत/निर्माण कार्य नही करा पा रहा है, प्रस्ताव तैयार कर नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–185

श्री सुनील कुमार कनौजिया पार्षद वार्ड नं0–14 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

आपको सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि वार्ड–14 के अर्न्तगत एक भी बरातशाला नहीं है और वार्ड के अर्न्तगत गरीब बस्तियों की आबादी भी 60 % से अधिक है। तथा जुही बम्बुरहिया में बुद्ध विहार के पास खाली पड़ी नगर निगम की भूमि पर बरातशाला बनाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत है।

माननीय गण आप सभी से निवेदन है कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर वरातशाला निर्माण कराने की कृपा करें।

..... **स्थलीय निरीक्षण करवाकर तद्नुसार कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–186

श्री शशी साहू मा0 पार्षद वार्ड नं0–81 एवं अन्य 06 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :– जोन–5 वार्ड–81 में हनुमान पार्क से कमला नगर रोड सड़क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम दुबे के नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि वार्ड–81 कौशलपुरी में राजा राम दुबे पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रसाद दुबे पता 118/258 कौशलपुरी,कानपुर नगर देश की आजादी के लिए अग्रेजो से सघर्ष व विरोध करते हुए कई वार जेल गये व कई वर्षो तक कानपुर की जेल मे रहे।

अतः आप से निवेदन है कि हनुमान पार्क से कमला नगर रोड (118/293 से 118/607) तक सड़क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम दुबे के नाम नामकरण किये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

नगर आयुक्त ने कहा कि यदि सन्दर्भित सड़क का पूर्व से कोई नामकरण हो तो, उस पर पुनः विचार कर लिया जाये।

..... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–187

श्रीमती राधा देवी पाण्डेय मा0 पार्षद वार्ड नं0–20 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :– जोन–5 वार्ड–20 फजलगंज (गड़यिनपुरवा) स्थित महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थल का सुन्दरीकरण एवं छतरी लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड 20 फजलगंज में नवजीवन पार्क से सटी लगी शहीद भगत की प्रतिमा के चारो तरफ भीषण गन्दगी,अतिक्रमण की वजह से उनके जन्म एवं वलिदान दिवस पर कार्यक्रम नही हो पाते यह प्रतिमा लगभग 30 वर्ष पुरानी है। मूर्ति की सुरक्षा वास्ते एक चवूतरा एवं ऊपर की चार खम्भे लगाकर लिण्टर साथ मा0डल सुन्दरीकरण कराने की कृपा करें जनहित एवं महापुरूषो सम्मान में यह कार्य अति आवश्यक है।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–188

श्री शिवम दीक्षित मा0 पार्षद वार्ड नं0–106 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड –106 कलक्टगंज ,गल्ला मण्डी (कलक्टरगंज) में विगत लगभग 100 वर्षो से प्रत्येक दशहरा पर्व पर परेड रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में उक्त गल्ला मण्डी में भरत मिलाप का कार्यक्रम होता आ रहा है जहॉ पर दूर–दूर से श्रॅदालु आकर प्रभू राम दरबार के दर्शन पाकर अभिभूत होते है तथा अनेको श्रॅदालुओ की धार्मिक भावनाये उक्त स्थान से जूड़ी हुई है उक्त स्थान भगवान श्रीराम की अयोध्या नगरी के नाम से जाना जाता है परन्तु उक्त स्थान पर कोई मार्ग चिन्ह नही जो प्रभु श्रीराम के प्रति हमारी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कलक्टरगंज गल्ला मण्डी पर दो गेट 'अयोध्या नगरी' नाम के बनवाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी में सम्मिलित कर जनहित/धर्महित में निर्णय लेने की कृपा करे।

श्री जयप्रकाश पाल ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुये इस प्रकार के प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना उचित नही है इससे कार्यकारिणी समिति की छवि प्रभावित होती है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि माननीय न्यायालय के निर्णय तथा शासन के आदेश/निर्देश के आलोक में ही इसप्रकार के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। जिससे न तो माननीय न्यायालय की अवमानना होगी और न ही शासनादेश का उल्लंघन होगा। सभी को आवश्वस्त करता हूँ कि यदि ऐसे प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति भी कर दिये जाते है तो उनकों निरस्त कर दिया जायेगा।

..... **माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में विधिक परीक्षण कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–189

श्रीमती मेनका सिंह सेगर वार्ड नं0–87 एवं एक अन्य 01 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

मेरे वार्ड –87 बिनगवॉ में मैने कई बार बारातशाला के निमार्ण के लिये निवेदन किया/ई0डब्लू0एस0 तथा मिनी एलाईजी तथा गॉव क्षेत्र होने के कारण गरीबो को बारातशाला का लाभ नही मिल पा रहा है।

अतः हमारे क्षेत्र की स्थित को समझते हुए कार्यकारणी से निवेदन है कि हमारे वार्ड बारातशाला का निर्माण कराने की अनुमति प्रदान करे।

नगर आयुक्त ने कहा कि छोटे–छोटे निर्माण कार्यो को नगर निगम निधि से कराने की स्वीकृति प्रदान करें, बड़े निर्माण को चौदहवें वित्त आयोग व अवस्थापना निधि से कराने हेतु कार्यकारिणी समिति की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाये, तो उचित होगा।

सभापति ने कहा कि महानगर में पूर्व में नगर निगम द्वारा कई बारातशालाओं का निर्माण कराया गया है, जिसमें अधिकांश में अवैध कब्जे हो गये है, और कई बारातशालाओं में कार्यक्रम नही होते है, ऐसे में नई बारातशालाओं का निर्माण कराया जाना उचित नही होगा।

..... **परीक्षणोंपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–190

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता मा0 पार्षद वार्ड नं0–63 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

आप से आग्रह करना चाहता हूँ मेरे निज–निवास के पास कुशवाहा आटा चक्की के नाम से चौराहा है जिसका नाम क्षेत्रिय जनता की सहमति पर 'प0 अटल चौराहा' गंगापुर कार्यकारिणी से पास कराने का कष्ट करे।

..... **परीक्षणोंपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–191

कु0 लक्ष्मी कोरी वार्ड नं0–04 एवं एक अन्य 05 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

वार्ड–4 ग्वालटोली के अर्न्तगत 12/480 मलिन बस्ती के पास व के0डी0 पैलेस के बगल से जाने वाले मार्ग के मुख्य द्वारा पर क्षेत्रिय जनता द्वारा डॉ0 अम्बेडकर द्वार की मॉग की गयी है जहॉ पर 12/480 मलिन बस्ती है डॉ0 अम्बेडकर द्वार बनने से किसी प्रकार यातायात मार्ग बाधित नही होगा व समुचित जगह उपलब्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्यकारणी समिति के माध्यम से के0डी0 पैलेस के बगल से व नगर निगम की दुकानों के बीच को मुख्य मार्ग के द्वारा पर डॉ0 अम्बेडकर द्वार बनाने का प्रस्ताव कार्यकारणी समिति से स्वीकृत कराने का कष्ट करे।

..... **माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में विधिक परीक्षण कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–192

श्री जीतेन्द्र गांधी कुशवाहा पार्षद वार्ड नं0–60 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषयः– महान विद्वान आचार्य चाणक्य व चन्द्रगुप्त मौर्य की मूर्ति लगवाने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि रावतपुर आवास विकास के समीप कुशवाहा पुरवा के निकट मेन रोड पर एक बड़ा पार्क है, उस पार्क में महान विद्वान आचार्य चाणक्य व महान शासक चन्द्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा लगवाने का प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत करके पार्क में मूर्ति लगवाने की कृपा करे।

..... **माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में विधिक परीक्षण कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–193

श्री मदन बाबू मा0 पार्षद वार्ड नं0–13 एवं अन्य 04 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषयः– अटल घाट व रानी घाट भैरव घाट पर आउटसोर्सिंग से गोताखोर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि वार्ड न0–13 पुराना कानपुर जोन–4 के अन्तर्गत अटल घाट, रानी घाट व भैरव घाट पर आये दिन तमाम लोग गंगा में डूब जाते है जाने कितनी जाने जा चुकी है और तमाम लोगो की जान वहॉ के तैराक लोगो ने जान बचायी है।

अतः आप से निवेदन है कि आउटसोर्सिंग से गोताखोर लगाने की कृपा करे जिससे लोगो की जान बचायी जा सके।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि पूर्व में नगर निगम द्वारा गोताखोर तैनात किये जा चुके है। अतः मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिगत गोताखोरों को तैनात किया जाना चाहिये।

सभापति ने कहा कि विज्ञापन निकाल कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से गोताखोर लगवाये जाने की कार्यवाही की जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि इस प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाये कि जब वहाँ पर पी0ए0सी0 व जल पुलिस की चौकी स्थापित हो जायेगी तब इन्हें हटा लिया जायेगा।

..... **इस शर्त के साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से गोताखोर रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, कि जब वहाँ पर पी0ए0सी0 व जल पुलिस चौकी स्थापित हो जायेगी तब गोताखोरों को हटा लिया जायेगा।**

प्रस्ताव संख्या–194

नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ।

कार्यालय कार्यकारिणी समिति हेतु

कार्यालय पत्र संख्या———————————— दिनांक———————— की अधिनियम की धारा———— के अन्तर्गत सूचनार्थ पढना/स्वीकृति प्रदान करना/स्वीकृति हेतु नगर निगम से अनुशंसा प्रदान करना–

14 वें वित्त आयोग के अनुदान से मोबाइल टॉयलेट(10 सीटर) क्रय किये गये है। जिनकी आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है। जिनका सदुपयोग बाढ राहत शिविर एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमो के आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। क्रय किये गये मोबाइल टवाइलेट की सार्वजनिक/धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों में मॉग को दृष्टिगत रखते हुये उक्त के सुचारू रूप से संचालन हेतु किराये का निर्धारण क्रय किये गये मोबाइल टॉयलेट की सार्वजनिक कार्यक्रमों/धार्मिक कार्यक्रमों एवं जन सामान्य से जुडे अन्य कार्यक्रमो में निकट भविष्य में मॉग आने की सम्भावना है। मोबाइल टॉयलेट की मॉग आने पर ट्रैक्टर के माध्यम से भेजना पडेगा, जिसमें डीजल आदि का व्यय भार नगर निगम पर पडेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि किराये पर लेने वाली संस्था उपकरण का उपयोग उचित प्रकार से करें, जिससे उपकरण को कोई क्षति न पहुचें, इसलिये आवश्यक है कि उपकरण को किराये पर देने से पूर्व किराये पर लेने वाले संस्था/व्यक्ति से रू0 10,000.00(रूपया दस हजार मात्र) जमानति धनराशि के रूप में जमा करा लिया जायें। जिसे उपकरण के यथा स्थिति में वापस प्राप्त होने की दशा में वापस कर दिया जायेगा। मोबाइल टॉयलेट का उपयोग सुचारू रूप से होता रहें, इसलिये प्रति दिन की दर से किरायें एवं आने जाने में खर्च होने वाले ईधन के व्यय का निम्नानुसार निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

	दूरी	विवरण	दैनिक किराय	ईधन पर वाला व्य	कुल
	01 से 05 किमी0 तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000	300.00	3,300
	05 से 10 किमी तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000	600.00	3,600
	10 से 15 किमी0 तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व	3,000	900.00	3,900

		वापस जाने हेतु			
	15 से 20 किमी0 तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000	1,200.00	4,200
	20 से 25 किमी0 तक	मोबाइल टॉयलेट को भेजे जाने व वापस जाने हेतु	3,000	1,800.00	4,800
	जमानति धनराशि		रू0 10,000.00(दस हजार) मात्र		

अतः कृपया उपरोक्तानुसार मोबाइल टॉयलेट के किराये एवं आने जाने में खर्च होने वाले ईधन के व्यय के निर्धारण हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से पूछा कि एक टॉयलेट की कीमत क्या है ? और क्या पूर्व में मोबाइल टॉयलेट सार्वजनिक उपयोग हेतु दिये गये है तथा टॉयलेट को नुकसान भी हुआ है ?

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अवगत कराया कि कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त ज्यादातर मोबाइल टॉयलेट्स क्षतिग्रस्त होकर वापस आते है।

नगर आयुक्त ने कहा कि जो मोबाइल टॉयलेट्स ले जाते है, वह आर्थिक रूप से मजबूत है तो यह जमानती धनराशि उचित है। जो भी मोबाइल टॉयलेट्स ले जाये उनसे यह जानकारी कर ली जाये कि कितने व्यक्ति इसका प्रयोग करेंगे।

श्री मो0 अमीम व अन्य सदस्यों ने कहा कि मोबाइल टॉयलेट्स का प्रयोगा ज्यादातर बड़े–बड़े कार्यक्रमों व शादी–समारोह में किया जाता है, जिसमें टूट–फूट की सम्भावनायें अधिक रहती है।

सभापति ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों में उपयोग हेतु रियायत दी जानी चाहिये।

..... **तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–195

नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 36666/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 व अवमानना याचिका संख्या 4365/2019 व 4370/2019 मे पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन में नगर निगम की किराये पर उठी

सम्पत्तियों के बढ़े हुए किराये के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित है। कृपया उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रस्ताव

विषयः— मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 36666/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 व अवमानना याचिका संख्या 4365/2019 व 4370/2019 में पारित
आदेश दिनांक 19.07.2019 के अनुपालन में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों का किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 समिति को अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 16.01.2013 को मा0 कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या 47,83 व 84 द्वारा विभिन्न जोनों में नगर निगम की किराये पर उठी सम्पत्तियों के किराये में वृद्धि विषयक प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किये गये थे एवं मा0 सदन की बैठक दिनांक 16.02.2013 में कमशः प्रस्ताव संख्या 29,36 व 37 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप किराये की दरों में वृद्धि करते हुए दिनांक 01.03.2013 को प्रभावी किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के कम में विभिन्न आवंटियो द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगभग 21 रिट याचिकाओं के माध्यम से नगर निगम की किराये की सम्पत्तियों के किराया वृद्धि को चुनौती दी गयी थी, जिसमे मा0 न्यायालय द्वारा मूल रिट याचिका संख्या 36666/2013 के साथ अन्य रिट याचिकाओं को संकलित (CLUB) करके एक निर्णय दिनांक 13.12.2013 को पारित किया गया, जिसका कियात्मक अंश निम्नवत् हैः—

In the totality of the circumstances on record, we dispose of these writ petitions with a direction to the Munciple Commissioner to examine the grievance of the petitioners in the matter of enhancement of the rent and to decide the same by means of a reasoned and speaking order, preferably within a period of two months from the date a certified copy of this order is filled by the petitioners. If required he may place the matter again before the Executive Committee of the Nagar Nigam.

We make it clear that till the decision of the representation by the Nagar Ayukta/Executive Commmittee, the petitioners shall continue to pay the rent as fixed by the Nagar Nigam. Such deposit shall be subject to the order to be passed by the Nagar Ayukta as aforesaid.

We the aforesaid directions, all the writ petitions are disposed of.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के कम में उक्त कियात्मक अंश को मा0 कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 30.08.2014 में प्रस्ताव संख्या 669 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के अनुपालन में किरायेदारो द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनो के निस्तारण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृति के कम में तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेश संख्या 338/3/प दिनांक 22.06.2015 द्वारा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति एवं समस्त जोनल अधिकारियों को सदस्य नामित कर विभिन्न किरायेदारों द्वारा दी गयी आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए एक समिति का गठन किया गया। आवटियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बढ़ा हुआ किराया न जमा करने के कारण गठित समिति द्वारा दिनांक 25.08.2015 को सर्व सम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि **"मा0 न्यायालय के आदेशानुसार सम्बन्धित किरायेदार नगर निगम द्वारा निर्धारित किराया जमा नहीं करता है तो प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना उचित नहीं है।"**

मा0 महापौर जी एवं तत्कालीन नगर आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम के किराये पर उठी सम्पत्तियों के किराये के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय होने तक उसका किराया पार्ट पेमेन्ट के रूप में जमा कराये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक डी/320/सम्पत्ति/15–16 दिनांक 02.02.2016 समस्त जोनल अधिकारियों को निर्गत किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 13.12.2013 में प्रकरण का निस्तारण निर्णय की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के दो माह के अन्दर किया जाना था परन्तु पार्ट पेमेन्ट में किराया जमा किये जाने के आदेश के कारण उक्त आदेश का अनुपालन पूर्णतया नही हो पाया है। प्रकरण से सम्बन्धित श्री शमशेर सिंह व 15 अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 20356/2018 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2018 निम्नवत् हैः–

Counsel for the petitioners does not press the writ petition and submits that the petitioners shall deposit the arrears of rent, as per the order dated 4.2.2016 and shall continue to pay the rent as per the said order till the petitioners' grievance in the matter of enhancement of rent, is decided finally by the Municipal Commissioner, as per the order dated 13.12.2013 passed in Civil Misc. Writ Petition No. 36666 of 2013. His statement is recorded and accepted.

Counsel for respondents-authority submits that the Municipal Commissioner shall endeavour to decide the petitioners' representation, as per the aforesaid order, as expeditiously as possible and preferably within a period of three months from the date of receipt of this order. The petitioners are directed to produce a copy of this order along with a copy of the writ petition and annexures before the Municipal Commissioner within 10 days from today.

The petition is, accordingly, disposed of."

इस प्रकार उपरोक्त रिट याचिका संख्या 36666/2013 व रिट याचिका संख्या 20356/2018 व 18638/2018 में पारित आदेश का पालन न होने के कारण अवमानना वाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अवमानना वाद संख्या 4365/2019 व 4370/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2019 निम्नवत् हैः–

"Counsel for the petitioners does not press the writ petition and submits that the petitioners shall deposit the arrears of the rent, as per the order dated 4.2.2016, till today and shall continue to pay the rent as per the said order till the petitioners' grievance in the matter of enhancement of rent, is decided finally by the Municipal Commissioner, as per the order dated 13.12.2013 passed in Civil Misc. Writ Petition No. 36666 of 2013. His statement is recorded and accepted.

Counsel for respondents-authority submits that the Municipal Commissioner shall endeavour to decide the petitioners' representation, as per the aforesaid order, as expeditiously as possible and preferably within a period of three months from the date of receipt of this order. The petitioners are directed to produce a copy of this order along with a copy of the writ petition and annexures before the Municipal Commissioner within 10 days from today.

The petition is, accordingly, disposed of."

Learned counsel for the applicants submits that a certified copy of the aforesaid order was submitted for compliance before the opposite party but the opposite party has wilfully not complied with the order and, thus, has committed civil contempt liable for punishment under Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971.

Prima facie a case of contempt has been made out. However, considering the facts and circumstances of the case, one more opportunity is afforded to the opposite party to comply with the aforesaid order of the Court within two months from the date of production of a certified copy of this order.

The applicants shall supply a duly stamped registered envelope addressed to the opposite party and another self-addressed stamped envelope to the office within one week from today. The office shall send a copy of this order along with the self-addressed envelope of the applicant with a copy of contempt application to the opposite party within one week thereafter and keep a recorded thereof.

The opposite party shall comply with the directions of the writ court and intimate him of the order through the self-addressed envelop within a week thereafter.

With the aforesaid observations, this application is disposed of at this stage with liberty to the applicants to move a fresh application, if the order is not complied with by the opposite party within the stipulated time as aforementioned.

प्रकरण के निस्तारण हेतु मेरे आदेश दिनांक 05.09.2019 द्वारा नयी समिति गठित की गयी व उपरोक्त उल्लिखित रिट याचिकाओं/अवमाननावाद में पारित आदेशो के क्रम में जोनो में प्राप्त करायी गयी आपत्ति/प्रत्यावेदनो का परीक्षण किया गया, जिसमें याचीगणो द्वारा निम्न आधार पर आपत्तियां की गयी कि शासनादेश दिनांक 01.09.1977 के तहत हर पांच वर्ष में बढे हुए दर से किराया जमा कराये जाने, (2) अधिकतम देय किराये में कमी करने, (3) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यथोचित आदेश पारित करने, (4) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने, (5) किराया निर्धारण हेतु शासन को प्रत्यावेदन अन्तरित करने, (6) किराया बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में 1970 एवं 1987 में समझौते के आधार पर किराया निर्धारण करने, (7) विचार कर किराया संसोधन करने, (8) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उचित किराया निर्धारित किये जाने, (9) सभी दुकानदारो का किराया पूर्व की भांति प्रत्येक पांच वर्ष पर $12^{1}/_{2}\%$ बढाकर निर्धारित करने, (10) किराया न्याय संगत न होने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा नगर निगम सम्पत्तियों के किराये वृद्धि विषयक शासनादेश संख्या 3366(2)–जे/11–न0पा0 –4–1ए(4)/77 दिनांक 01 सितम्बर 1977 के बिन्दु 02 को संज्ञान में लेते हुए प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया, बिन्दु 02 निम्नवत हैः–

"स्थानीय निकायों ने अपनी दुकानों और भवनों आदि की जो सम्पत्तियां किराये पर उठा रखी है, उनके सम्बन्ध में भी यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया है कि उनका किराया और प्रीमियम अत्यन्त कम है और किराये की धनराशि लम्बे समय से पुनरीक्षित नही की गयी है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी सम्पत्तियों का किराया वर्तमान बाजार दर के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाये, ताकि स्थानीय निकाय ऐसी सम्पत्तियों का भली–भांति रख रखाव करने के साथ–साथ अपनी आय में भी यथोचित वृद्धि कर सके।"

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन के साथ निर्धारित किराये की दरों में दिनांक 01 सितम्बर 1977 को जारी शासनादेश क्रमांक 3366(2)–जे/11–न0पा0–4–1ए(4)/77 के अनुपालन के क्रम में प्रत्येक पॉच वर्ष में किराये में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाती रही है जो कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये से बहुत कम है। वर्ष 2013 में मा0 नगर निगम सदन द्वारा पुर्ननिर्धारण करते हुए वृद्धि की गयी। इस प्रकार शासनादेश सं 406/नौ–9–1997–95 जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 में शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय जिसमे स्थानीय निकायों द्वारा अपनी सम्पत्तियों (दुकानों) आदि का किराया बाजार दर पर निर्धारित करने का उल्लेख है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 1/2 किराया धनराशि में वृद्धि का निर्णय मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया गया, जो समस्त परिस्थितियों के आलोक में उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

तदनुसार शासनादेश संख्या 406/नौ–9–1997–95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 में बाजार दर के आधार पर आय में वृद्धि हेतु किराया निर्धारण हेतु निर्देशित किया गया था। वर्ष 2013 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराया दर के 50% की वृद्धि की गयी। उल्लेखनीय है कि इन चार वर्षो में जिलाधिकारी द्वारा घोषित किराया दरों में वृद्धि होने के कारण नगर निगमों द्वारा आय के संसाधन में वृद्धि किया जाना समीचीन हो गया था। ऐसी स्थिति में किराये में की गयी वृद्धि पूर्णतया नियमानुकूल व यथोचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियां शासनादेश संख्या 406/नौ–9–1997–95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 व नगर निगम की आय में वृद्धि को संज्ञान में लेते हुए बलहीन पायी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति/सदन में विचारणार्थ/निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि मैं कार्यकारिणी के माध्यम से अपने अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत हमारी नगर निगम की कितनी दुकान है और उनसे कितना किराया वसूला जा रहा है। पहले सभी सदस्य इस पर चर्चा कर ले।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है राजस्व हित में, मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को अभी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाये, यदि भविष्य में इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना होगा, तो उसे मा0 कार्यकारिणी के समक्ष रख कर स्वीकृत करा लिया जायेगा। यदि इस प्रस्ताव को अभी अनुमति प्रदान नही की जाती है तो दोबारा काफी समय बाद यह प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत हो पायेगा, अतः इसे स्वीकृत प्रदान किया जाना उचित होगा साथ ही आश्वत करता हूँ कि नगर निगम की आय में वृद्धि होने से समय से कर्मचारियों के देयकों का भुगतान तथा क्षेत्रों में समुचित विकास कार्य भी कराये जा सकेंगे।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–196

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ हेतु प्रेषित है :–

कार्यकारिणी प्रस्ताव

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्तमान मे 110 वार्डो मे डोर टू डोर कूडा कलेक्शन का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है। डोर टू डोर यूजर चार्ज की वसूली 110 वार्डो में आवासीय एवं अनावासीय स्थानों/प्रति परिवार/भवन स्वामियो से की जानी है। अवगत कराना है कि पूर्व मे तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के आदेश सं0 103/प्रोजेक्ट सेल दिनांक 13.07.2011 के अनुसार ए.टू.जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को निम्नानुसार यूजर चार्ज वसूली के आदेश दिये गये थे। वर्तमान मे वसूली दरों मे निम्नानुसार पुनरीक्षित दरें प्रस्तावित है।

श्रेणी का विवरण	उप विधि के अनुसार प्रचलित दर (रूपया) प्रतिमाह	निर्धरित दरें (रूपया) प्रतिमाह/प्रति परिवार	प्रस्तावित दरें (रूपया) प्रतिमाह/प्रति परिवार
आवासीय वी.पी.एल. मलिन बस्ती, 30 वर्ग मी0	30–40 प्रति परिवार प्रतिमाह	10	25

तक प्लाट/15 वर्ग मी0 क्षेत्रफल			
अन्य आवासीय	30–40 प्रति परिवार प्रतिमाह	30	50
आवासीय–एच.आई.जी.ग्रुप/क्षेत्रफल	30–40 प्रति परिवार प्रतिमाह	50	100
आवासीय/हाउसिंग सोसाइटीज	40–50 प्रति परिवार प्रतिमाह	50 प्रति फ्लैट/प्रति परिवार	100
आवासीय –20 वर्ग मी0 तक दुकान	30 रूपया प्रतिमाह संस्था	30	100
अनावासीय –20 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल की दुकान/कार्यालय	रू0 2 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिमाह प्रति संस्था 03 रू0 प्रति स्क्वायर मीटर	40	100
शैक्षिक संस्थान, प्राइवेट कौचिग संस्थानो , नर्सिग होम, पेट्रोल पम्प आदि	रू0 2 से 2.50 पैसा प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संस्था	500	600
सरकारी कार्यालय, भवन, शॉपिग काम्पलेक्श (20 दुकानो से अधिक गेस्ट हाउस, आडिटोरियम, हास्टल, बैक, होटल 1000 वर्गमी0 आच्छादित क्षेत्रफल तक) रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, कामर्शियल लान 1000 वर्गमी0 क्षेत्रफल तक	रू0 2 से 3.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिमाह प्रति संस्था	1000	1250
होटल, बैक्वेट हॉल, क्लब, सिनेमा हाल, फैक्टी, अस्पताल, विश्वविधालय, शैक्षिक संस्थान, मेडिकल कालेज, कामर्शियल लॉन 1000 वर्गमी0 से अधिक	रू0 2 से 3.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिमाह प्रति संस्था	2000	2500
1000 वर्गमी0 आच्छादित क्षेत्रफल से अधिक	रू0 2 से 3.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल प्रतिमाह प्रति संस्था	5000	6000

अतः उपरोक्त आवासीय/अनावासीय यूजन चार्ज की दरें पुनरीक्षित की स्वीकृति किये जाने हेतु मा0 कारकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने कहा कि इस सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। अभी हमारे पास यह डेटाबेस नही था कि यदि हमने किसी क्षेत्र में 05 सफाई कर्मियों को कूड़ा कलेक्शन के लिये लगाया है तो यह निश्चित नही हो पाता था कि वह 05 सफाई कर्मचारी पूरे क्षेत्र का कूड़ा ले पायेंगे या नही। अभी हम यह दिखवा रहे है कि वार्ड में कितने घर है, तद्नुसार ही मानव बल लगाये जायेंगे तथा सेवाप्रदाता कम्पनी एवं नगर निगम की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि वार्ड के भवनों के हिसाब से सफाई कर्मी लगाये जाये तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाये।

..... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–197

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 30.08.19 द्वारा नवीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क नियमावली लागू होने तक स्थल किराये के रूप में वसूली हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रेषित

स्थल किराया निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका सं० 13578/2018 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद सं०–354/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 में विज्ञापन कर को जी०एस०टी० के अन्तर्गत समाप्त करते हुए दिनांक 01.07.2017 से विज्ञापन कर को समाप्त करते हुए इस मद में किसी भी प्रकार की वसूली न करने तथा इसके बाद विज्ञापनकर्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि को वापस किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ज्ञातव्य है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली वर्ष–2016 को पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में किसी भी प्रकार के विज्ञापन कर की वसूली पर रोक लगायी गयी है, जिसके कारण वर्तमान समय में विज्ञापन कर की वसूली सुनिश्चित नहीं हो

सकती है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली 2016 को निरस्त करने के उपरान्त तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 24.11.2017 में स्वीकृत दरों जो विज्ञापन नियमावली 2016 में अंकित दरों के अनुसार निर्धारित की गयी है, जिसका विवरण पताका–क पर अवलोकनीय है, इन निर्धारित दरों के विरूद्ध यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय से मिल कर आपत्ति की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में वार्ता में यह निर्धारित हुआ था कि एसोसिएशन से वार्ता एवं सहमति के आधार पर नवीन विज्ञापन नियमावली के अन्तिम रूप से लागू होने तक आपसी सहमति से दरें निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 17.05.2019 व दिनांक 27.07.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विज्ञापन की नवीन नियमावली लागू होने तक वैकल्पिक दरों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्धारित दरों में 01.07.2017 से 31.03.2018 तक की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में 50 प्रतिशत वृद्धि करने एवं इसी आधार पर पूर्व विज्ञापनपटों का नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त महोदय को सम्बोधित पत्र दिनांक 17.05.2019 द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–13578/2018 एवं मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–354/2018 में पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए, आदेश के परिपेक्ष में विज्ञापन व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने हेतु नगर निगम एवं विज्ञापनकर्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन के सम्बन्ध में यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मिलकर मा० उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है। आदेश का क्रियात्मक अर्थ निम्नवत है–

In view of the above after 12.09.2016 on from 01.07.2017 the Nagar Nigam, Kanpur ceased to have any jurisdiction to impose and realize tax on advertisement Accordingly the demand of tax on advertisement from the petitioners after 01.07.2017 is held to be illegal and without jurisdiction.

The notice of demand impugned in the petition to the above extent are quased and the amount, if any of the advertisement tax deposited by the petitioners for the period 01.07.2017 onwards shell be refunded to the petitioners.

The writ petition is allowed and it is held that the Nagar Nigam, Kanpur shall not realize any tax on advertisement after 01-07-2017.

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.05.2019 के अनुसार विज्ञापन की वसूली नगर निगम द्वारा न करने एवं इसके पश्चात उक्त मद में यदि विज्ञापनकर्ताओं द्वारा कोई धनराशि जमा की गई है, तो उसे वापस करने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन की वसूली किया जाना मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सम्भव नही हो पा रहा है, जबकि जुलाई 2017 से अब तक स्वीकृत विज्ञापनपट का प्रयोग निरन्तर सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता द्वारा किया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय से यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा मिल कर यही अनुरोध किया गया था कि नगर निगम कानपुर की सीमान्तर्गत यदि पूर्व विज्ञापन कर के स्थान पर बनारस नगर निगम की भाँति स्थल किराया की दरें तब तक के लिए तय कर ली जायें जब तक कि नई विज्ञापन नियमावली लागू न हो जाए।

YEAR	(2016-17)	
SIZE	MET.	FIT
UNIPOLE	Rate	
SUPER	4,000.00	371.61
A	2,800.00	260.13
B	2,300.00	213.68

2015-16				
FIT	+25%	+50%	+75%	100%
Rate				
125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
85.00	106.25	127.50	148.75	170.00

C	1,800.00	167.22
D	1,500.00	139.35

75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

HORDING		
SUPER	2,500.00	232.26
A	1,700.00	157.93
B	1,400.00	130.06
C	1,200.00	111.48
D	1,000.00	92.90

125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

CANT. L.	Rate	
SUPER	3,500.00	325.16
A	3,000.00	278.71
B	2,500.00	232.26
C	2,000.00	185.80
D	1,000.00	92.90

Rate				
125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

POLICE	Rate	
SUPER	4,500.00	418.06
A	3,500.00	325.16
B	2,500.00	232.26

Rate				
125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
85.00	106.25	127.50	148.75	170.00

C	1,500.00	139.35	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

BUS SHELT.	Rate		Rate				
SUPER	4,500.00	418.06	125.00	156.25	187.50	218.75	250.00
A	3,500.00	325.16	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00
B	2,500.00	232.26	85.00	106.25	127.50	148.75	170.00
C	1,500.00	139.35	75.00	93.75	112.50	131.25	150.00
D	1,000.00	92.90	60.00	75.00	90.00	105.00	120.00

उक्त के क्रम में यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा नगर आयुक्त महोदय से उक्त वार्ता के क्रम में लिखित रूप से सहमति पत्र दिनांक–17.05.2019 एवं दिनांक–27.07.2019 जो संलग्न साइड में पताका–ख व ग पर अवलोकनीय है, में वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं वर्ष 2019–20 में 50 प्रतिशत की बढोत्तरी कर अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत स्थल किराया तय करके वैकल्पिक शुल्क देने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में अपर नगर आयुक्त, प्रभारी अधिकारी ''विज्ञापन'' द्वारा यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन से वित्तीय वर्ष में प्रचलित दरों में 100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दरें तय कर ली जाए। ऐसा करने से विज्ञापन की दरें जो अब (स्थल किराया) में लिया जाना है, जो वित्तीय वर्ष 2016–17 की दरों से अधिक हो जाएगी। उपरोक्त यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन को स्वीकार नही है। यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के पत्र दिनांक 27.07.2019 द्वारा विज्ञापन दरों में वृद्धि का जो प्रस्ताव दिया है वह निम्नवत है:–

01. मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुरूप 01.07.2017 के उपरान्त विज्ञापन के मद में किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है।

02. चूँकि वर्तमान में विज्ञापन नियमावली निरस्त है एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिना विधिक प्रावधान के किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है और 01.07.2017 के उपरान्त विज्ञापन के मद में ली गई धनराशि वापस करने का भी आदेश है।

03. 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक नगर निगम एवं विज्ञापनकर्ताओं के मध्य स्थल किराया वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों के आधार पर दरे तय कर ली जाए, जिससे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हों।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रचलित दरों में प्रतिशत अनुसार वृद्धि निम्नवत है–

नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक–24.11.2017 में निर्धारित दरें विज्ञापन नियमावली 2016 के अनुसार निर्धारित की गयी थी, जिसके विरूद्ध मा० न्यायालय में वाद दाखिल किया था और मा० न्यायालय द्वारा विज्ञापन नियमावली–2016 को निष्प्रभावी कर दिया गया था, इन दरों पर विज्ञापन कर की समाप्ति उपरान्त स्थल किराया के रूप में उक्त दरों को स्वीकार करने पर सहमत नहीं है। चूँकि 01.07.2017 के पश्चात नगर में स्वीकृत विज्ञापनपटों से स्थल किराया का प्रस्ताव यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन से लिखित रूप से आया है, जिससे मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–13578/2018 एवं मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद सं०–354/2018 के आदेश, जिसका विवरण पूर्व में वर्णित किया गया है की भी अवमानना नही होगी, साथ ही नगर निगम विज्ञापनकर्ताओं 01.07.2017 के बाद विज्ञापन मद में जमा की गई धनराशि वापस करने की आवश्यकता नही पड़ेगी साथ ही 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक विज्ञापनकर्ताओं से 01.07.2017 से 31.03.2019 तक पूर्व प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि एवं 01.04.2019 से 50 प्रतिशत वृद्धि नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक वसूली करने का मार्ग प्रशस्त होगा साथ ही विज्ञापन एजेन्सियों के नवीनीकरण/पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी, जिससे नगर निगम राजस्व में वृद्धि होने की सम्भावना होगी। यदि विज्ञापन एसोसियेशन के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया

जाता है तो यह प्रतिबन्ध रहेगा कि जमा की गयी धनराशि में यदि किसी भी विज्ञापन एजेन्सी का जमा की जाने वाली धनराशि में यदि कोई समायोजन बनेगा तो वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 पर लागू नहीं होगा एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की नवीनीकरण एवं निर्धारित स्थल किराया तत्काल नगर निगम कोष में जमा करना होगा। कृपया नगर निगम वित्तीय हित में नगर में लगे सभी स्वीकृत विज्ञापनपटों से 01.07.2017 से नवीन विज्ञापन नियमावली लागू होने तक उक्त अनुसार स्थल किराया को स्वीकृति एवं अग्रिम आदेशार्थ आख्या प्रेषित है।

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

नगर आयुक्त ने कहा कि हम जो बॉयलॉज बना रहे है, उसको 20 श्रेणीयों में बाँटा जा रहा है। वर्तमान में विज्ञापन मद से नगर निगम को कोई आय नही हो रही है। मैं जहाँ भी निकल रहा हूँ वहाँ पर यदि कोई अनधिकृत होर्डिंग दिखती है तो उसकों हटवा कर मैं स्वच्छ भारत मिशन की होर्डिंग्स लगवा रहा हूँ।

सदस्यों ने कहा कि महानगर के अन्तर्गत वैध हार्डिंग्स की अपेक्षा अवैध होर्डिंग्स की संख्या अधिक है। हमारे पास यह जानकारी उपलब्ध नही है कि कौन सी होर्डिंग वैध है और कौन सी अवैध ?

नगर आयुक्त ने प्रभारी अधिकारी विज्ञापन को निर्देशत किया कि एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रत्येक पार्षद को जोन स्थित उनके वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत वैध होर्डिंग्स की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

..... तद्नुसार पार्षद से सुझाव प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–198

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 30.08.19 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–200 के अन्तर्गत विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण व वसूली उपविधि 2018 पर प्राप्त आपत्तियों एवं बैठक दिनांक–17.07.2019 में दिये गये सुझाव एवं निस्तारण हेतु, माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

1. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन नियमावली के नियम–3 उपनियम–2 पर अंकित स्थल चयन के लिए गठित समिति में नगर निगम से बाहर के विभागों को सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी। विज्ञापनकर्ताओं का कथन है कि उक्त समिति में नगर निगम के बाहर के विभागों की सूची बहुत लम्बी है। अतः उनका सुझाव है कि उक्त समिति में केवल नगर निगम के ही विभाग/अधिकारी होने चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रभारी विज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों जिसमें पी०डब्लू०डी०, परिवाहन एवं अन्य विभाग सम्मिलित है, के द्वारा विज्ञापन पटो की स्वीकृति उपरान्त कभी सड़क चौड़ीकरण के आधार पर और कभी जनहित सम्बन्धी एवं अन्य आधार पर स्वीकृत विज्ञापन पटो को हटाने की मांग की जाती है, जिससे काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। उक्त कार्य में नये स्वीकृत होने वाले पटो के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा सुझाव के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति पटो के आवंटन के पूर्व स्पष्ट हो जायेगी, जिससे भविष्य में होने वाले विवादों की स्थिति से बचा जा सकेगा। अतः आपत्ति बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

2. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन नियमावली के नियम–7 के उपनियम–3 के सम्बन्ध में विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि पुराने व नवीनीकरण वाले विज्ञापनपटों के स्थलों पर प्रीमियम लिया जाना उचित नहीं है, नए स्वीकृत विज्ञापनपटों पर ही प्रीमियम लिया जाये तथा सभी वर्गो का एक समान न्यूनतम प्रीमियम निर्धारित किया जाए। इसके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सभी वर्गो के लिए कुल बिल का न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में लिया जाए, जो कि अनुज्ञा प्राप्त होते ही जमा करना अनिवार्य होगा।

3. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा निजी भवनों पर लगने वाले विज्ञापनपटों का साइज निर्धारित किये जाने पर आपत्ति जतायी गयी। इस सम्बन्ध में प्रभारी विज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया कि भवन की सुरक्षा एवं किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिये इसका प्रावधान किया गया है। इस पर विज्ञापनकर्ताओं द्वारा कहा गया कि भवन की सुदृढ़ता के सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट लगायी जाती है। अतः स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिर्पोट के साथ विज्ञापनकर्ता भवन की भौतिक स्थिति के अनुसार ही स्ट्रक्चर लगाएंगे। यदि इस स्ट्रक्चर से कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता की होगी।

4. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा नियमावली के नियम 5(बी) के अन्तर्गत उपनियम–3(घ) में अंकित "विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद के अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र" संलग्न करने पर आपत्ति जतायी गयी। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि सामान्यतः उक्त विभागों में आपत्ति की अनिवार्यता नही रहेगी परन्तु उक्त विभागों के वह क्षेत्र जो नगर निगम को हस्तान्तरित नही किए गए है, के स्थलों पर प्रचार करने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा नियमावली के नियम 5(बी) के अन्तर्गत उपनियम–3(ड़) में अंकित "जिस भूमि व भवन पर विज्ञापनपट लगाया जायेगा, उसे व्यावसायिक श्रेणी में माना जायेगा" पर आपत्ति जतायी गयी। इस पर बैठक में आश्वासन दिया गया कि निजी भूमि/भवन के जिस भाग का व्यावसायिक प्रयोग किया जायेगा उस भाग को ही व्यावसायिक श्रेणी में माना जायेगा।

6. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा निजी भवनों पर लगने वाले दो विज्ञापनपटों के मध्य अन्तर दूरी निर्धारण पर आपत्ति जतायी गयी, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस प्रकार का कोंई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु भवन/साइड की सुदृढ़ता हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य है।

7. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि किसी भी चौराहे पर लगे विज्ञापनपटों की श्रेणी एक ही होनी चाहिए, जिस पर सभी की आम सहमति व्यक्त की गई।

8. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि नगर निगम में पंजीकृत विज्ञापनकर्ताओं को ही विज्ञापन कार्य हेतु अनुमन्य किया जायेगा। इसका प्रस्तावित नियमावली के नियम–5(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि केवल नगर निगम में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियाँ को ही विज्ञापन करने की अनुमति अनुमन्य होगी। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी विज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया कि इसका प्रावधान नियमावली में पूर्व से ही प्रस्तावित है, के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

9. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि विज्ञापनपट आवेदन प्रपत्र के रेट अत्यधिक हैं, उन्हें कम किया जाये। इस पर बैठक में निर्णय लिया गया कि पंजीकरण फॉर्म का शुल्क रु० 500.00 +18% G.S.T व नवीनीकरण फॉर्म का शुल्क रु० 200.00 +18% G.S.T कर दिया जाए।

10. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा बार–बार विज्ञापन बदलने पर स्वीकृत प्राप्त करने पर आपत्ति जतायी गयी, जिसे इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि स्ट्रक्चर पर लगाया जाने वाला विज्ञापनपट राष्ट्रहित एवं धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध, समाज में द्वेष फैलाने वाले, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ाने वाले एवं अश्लील चित्रों एवं भाषाओं को प्रदर्शित नही करेंगे। इसका उल्लंघन करने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही (काली सूची में डालने) की जाएगी।

11. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा माँग की गई कि विज्ञापन नियमावली निर्धारित करने पर उ०प्र० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को संज्ञान में अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई।

12. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन कर का तिमाही (अग्रिम) भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से किये जाने का सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा सहमति दी गई कि तिमाही भुगतान की निर्धारित अवधि के एक माह के बाद भुगतान प्राप्त न होने पर विज्ञापन कर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगा, साथ ही एक माह के बाद भी विज्ञापन कर का भुगतान न करने पर ब्याज की धनराशि के साथ उक्त विज्ञापनपट पट को नगर निगम द्वारा हटा दिया जायेगा और विज्ञापन सामग्री जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई।

13. कमेटी द्वारा बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि विज्ञापन कर की दरें अन्तिम होने के पश्चात् समस्त विज्ञापनकर्ता अपने अपने बकाया देय विज्ञापन कर को तत्काल जमा करायेंगे। इस पर विज्ञापनकर्ताओं द्वारा सहमति दी गयी।

14. विज्ञापनकर्ताओं द्वारा विज्ञापन विभाग के विकेन्द्रीकरण किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति जतायी गयी कि 06 जगह से बिल प्राप्त करने व भुगतान करने पर काफी असुविधा होती है। यदि ऐसा सम्भव हो तो केन्द्रीय विज्ञापन विभाग से बिलों का निर्गमन व भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, जिसे परीक्षणोपरान्त स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

15. इसी क्रम में विज्ञापनकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि होर्डिंग के गार्टर पर ही नम्बर लिखवाने की व्यवस्था की जाए, मोबाइल नम्बर लिखने में परेशानी यह है कि हमारे शहर के कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अपने निजी हित हेतु विशिष्ट जनों की फ्लैक्स छपवाकर स्वीकृत होर्डिंग पर जबरन लगाकर अपना प्रचार करते है। विभाग के पास सभी विज्ञापन एजेन्सियों का मोबाइल नम्बर पहले से मौजूद है विज्ञापनदाताओं की परेशानियों को देखते हुए होर्डिंग पर मोबाइल नम्बर न लिखने की छूट प्रदान की जाए। इस आपत्ति को स्वीकृति प्रदान की गई।

16. इससे पहले शहर के अन्दर छोटी–बड़ी हर प्रकार की होर्डिंग लगा करती थी, परन्तु दो चार वर्ष पहले यह निर्णय लिया गया कि अब केवल 20X10 की ही होर्डिंग लगाई जाएगी। वी.आई.पी. रोड, माल रोड, स्वरूप नगर, तिलक नगर आदि स्थानों पर 20X10 की होर्डिंग के साथ–साथ छोटी होर्डिंग (कम से कम 100 वर्ग फिट) भी लगवाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके सम्बन्ध में परिक्षणोपरान्त निर्णय लिया जाएगा, कि नगर निगम के सौन्दर्यीकरण एवं एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए आपत्ति स्वीकार योग्य नही है।

17. बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा विज्ञापनकर्ताओं से नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन हेतु जो स्ट्रक्चर (ढ़ाँचा) लगाए गए है या भविष्य में लगाए जाएंगे, उससे ढ़ाँचा शुल्क के रूप में धनराशि प्राप्त की जाएगी। नियमावली में प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में अंतरिम रूप से निर्णय यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वार्ता कर निर्धारित किया जाएगा। इसकी दरों का आधार यू०पी० एडवरटाइजर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ढ़ाँचा शुल्क सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार निर्धारित की जाएगी। बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय **Committee on road safety** सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व में जो बॉयलॉज प्रस्तुत किये गये है, पहले उसे मैं उसका अध्ययन कर लू। मैं चाहूँगा कि नगर निगम सदन में स्वीकृति हेतु भेजने से पूर्व मैं इसमें पुनः कुछ क्लॉज जोड़कर, उनकों प्रकाशित कराते हुये उनमें आपत्तियाँ आमंत्रित कर उनका निस्तारण कराते हुये मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

..... **तद्नुसार आपत्तियों का निस्तारण कराते हुये अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–199</u>

श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद वार्ड नं0–88 मा0सदस्य कार्यकारिणी समिति एवं हाजी सुहेल अहमद वार्ड–109 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :सचिव नगर निगम कार्यालय को आधुनिक बनाये जाने हेतु "01 मोनो कोम ब्लैक एंड व्हाइट एडवान्स रेजयोग्राफी विथ स्कैनर इण्डस्ट्रियल बेस" क्रय करने का मा0 कार्यकारिणी <u>समिति के समक्ष प्रस्ताव।</u>

महोदया,

कृपया सचिव नगर निगम कार्यालय से ही पार्षदो को मा0 कार्यकारिणी समिति, <u>मा0 सदन</u> एवं विभिन्न कार्यक्रमो की सूचना/आख्या उपलब्ध कराये जाने का कार्य होता है। सचिव नगर निगम कार्यालय में एक रेजयोग्राफी मशीन है, जो अक्सर खराब रहती है, जिससे मा0 पार्षदगणों को समय से सूचना उपलब्ध नही हो पाती है।

अतएव सचिव नगर निगम कार्यालय को आधुनिक बनाये जाने हेतु "01 मोनो कोम ब्लैक एंड व्हाइट एडवान्स रेजयोग्राफी विथ स्कैनर इण्डस्ट्रियल बेस" क्रय करने का मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

..... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या– 200

श्री प्रकाश जायसवाल,मा0 भूत पूर्व केन्द्रीय मंत्री,भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं मा0 महापौर महोदया द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

श्री रमेश विद्यार्थी ,महामंत्री,ग्राम कमेटी,ओमपुरवा ,कानपुर नगर का प्रतिवेदन पुनः भेज रहा हूँ जिसमें उन्होनें दर्शाया है कि इनकी कमेटी स्व0 शिव प्रसाद भारती ,पूर्व पार्षद की स्मृति मे ओमपुरवा ताड़ी खाना तिराहे से मिलेट्री फार्म की ओर जाने वाली मार्ग की शुरूआत में शिव प्रसाद भारती द्वार का निर्माण करवाना चाहती है। स्व0 शिव प्रसाद भारती एक सामाजिक व्यक्ति थे तथा ओमपुरवा का विकास कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः इन्होनें उक्त स्थान पर शिव प्रसाद भारती द्वार के निर्माण की स्थायी अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 09.09.2019 को एक पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु अभी तक कार्यवाही अपेक्षित है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

..... माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में विधिक परीक्षण कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–201

श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद वार्ड नं0–88 मा0सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :नरोना चौराहे पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री मा0 स्व0 अटल बिहारी वाजपेई जी की प्रतिमा की स्थापना एवं स्थल का विकास हेतु मा0कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव

कृपया पार्षद श्री विकास जायसवाल जी के क्षेत्र के अन्तर्गत नरोना चौराहा आता है। उक्त क्षेत्र भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री मा0 स्व0 अटल बिहारी वाजपेई जी का विद्याध्ययन एवं पूर्व जनसंघ एवं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के उत्थान हेतु कार्यक्षेत्र रहा है, जिसे उस क्षेत्र की जनता का भी उनके प्रति अपार स्नेह हैं।

अतएव नरोना चौराहे पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री मा0 स्व0 अटल बहारी वाजपेई जी की प्रतिमा स्थापना एवं स्थल का विकास हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है, ताकि प्रतिमा स्थापना के साथ भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेई की यादें हमेशा बनी रहे।

..... माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में विधिक परीक्षण कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–202

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ।

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्ताव निम्नवत है:–

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत पशु पालको द्वारा अपने गौवशों को छुट्टा छोड़ दिये जाने से आम नागरिकों को होने वाली समस्याओं से निजात दिलाये जाने हेतु शासन के निर्देशानुपालन में निराश्रित/बेसहारा पशुओं को पकड़कर 01–कान्हा गोशाला, जाना गॉव, जाजमऊ 02–गौ अभ्यारण्य, पनकी 03–अस्थाई गौ संरक्षण केन्द्र, बकरमण्डी 04–कॉजी हाउस, दर्शनपुरवा 05–कॉजी हाउस, जाजमऊ में निरूद्ध किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 की उपधारा 21 से 26 व 41 के अन्तर्गत पशुपालकों से एवं उपरोक्त स्थलों में निरूद्ध किये जाने वाले जानवरों के स्वामियों से जुर्माना वसूली के लिये पूर्व में मा0 नगर निगम सदन की सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक–01.09.2016 द्वारा दरों में बढोत्तरी की गयी थी। उक्त बढ़ी दरें 01.09.2016 के बाद से प्रभावी हैं, वर्तमान में मंहगाई दरों की वृद्धि के दृष्टिगत निम्नलिखित प्रस्तावित दरें मा0 कार्यकारणी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है :–

विवरण	जुर्माने की वर्तमान दरें	जुर्माने की प्रस्तावित दरें
देशी/संकर नस्ल की गाय, भैंस, घोड़ा एवं खच्चर आदि	रू0 1000.00 प्रति पशु	रू0 5000.00 प्रति पशु
गाय, भैंस, घोड़ा, खच्चर के बच्चे एवं सुअर आदि	रू0 1000.00 प्रति पशु	रू0 2500.00 प्रति पशु
सभी पशुओं/जानवरों की	रू0 150.00 प्रति पशु	रू0 150.00 प्रति पशु

प्रतिदिन की खुराकी		

..... **तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

प्रस्ताव संख्या–203

श्री सीमा सचान पार्षद वार्ड नं0–65 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ

प्रस्तुत है :–

आपको अवगत कराना है कि मेरे वार्ड 65 के अर्न्तगत दामोदर नगर कानपुर में एक प्रसिद्ध वैष्णो देवी गुफा मन्दिर है जिसके दर्शानार्थ प्रतिदिन हजारो श्रद्वालुओं का आवागमन होता है महोदया से निवेदन है कि उक्त मन्दिर के प्रवेश द्वारा पर एक द्वार बनवाने की स्वीकृति कार्यकारिणी द्वारा प्रदान करें।

..... **माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में विधिक परीक्षण कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–204

श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद वार्ड नं0–88 मा0सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :नवरंग टॉकीज चौराहा के सामने शक्तिपीठ स्थान मॉ0 तपेश्वरी देवी जाने वाले मार्ग पर "मॉ तपेश्वरी देवी" मुख्य द्वार का निर्माण हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव।

कृपया बिरहाना रोड पर माता तपेश्वरी देवी का अति प्राचीन मन्दिर स्थित है, उक्त मन्दिर भगवान राम के समय का है जहॉ पर माता सीता द्वारा पूजा की जाती थी और अपने पुत्र लव और कुश का मुण्डन संस्कार भी किया गया था। माता तपेश्वरी का मन्दिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जहॉ भारत के दूर–दूर से दर्शनार्थी आते है। उक्त स्थान पार्षद श्री विकास जायसवाल जी के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

उक्त बिरहाना रोड पर स्थित नवरंग टॉकीज चौराहे के सामने शक्तिपीठ स्थान मॉ0 तपेश्वरी देवी जाने वाले मुख्य मार्ग पर "मॉ तपेश्वरी देवी" मुख्य द्वार का निर्माण हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है ताकि उक्त स्थान का सुन्दर एवं भव्य लगे।

..... माननीय न्यायालय के आदेश एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के आलोक में विधिक परीक्षण कराते हुये कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–205

श्री निर्मला मिश्रा पार्षद वार्ड नं0–27 एवं 05 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–वार्ड 27 माधवपुर आराजी 052 में

1. पार्क या वृद्धा आश्रम बनाने हेुत आवेदन।
2. नानकारी गोसाई गेट पर खाली पड़ी ग्राम समाज की भूमि पर बरातशाला या सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में।

..... स्थलीय निरीक्षण कराते हुये तद्नुसार कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–206

श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद वार्ड नं0–88 मा0सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :नरोना चौराहे से घंटाघर तक की सड़क का नाम प्रसिद्ध इतिहासकार श्री काशी प्रसाद जायसवाल जी के नाम पर रखे जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव।

महोदया,

कृपया पार्षद श्री विकास जायसवाल जी के क्षेत्र के अन्तर्गत नरोना चौराहे आता है। उक्त क्षेत्र में जायसवाल समाज के लोग काफी संख्या में निवास करते है, जो उस क्षेत्र के विकास, व्यापार एवं समाज के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन में लगे है। जायसवाल समाज के उत्थान में मूर्द्धन्य एवं प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का योगदान अतुलनीय रहा है। नरोना चौराहे से घंटाघर तक की सड़क का नाम एक्सप्रेस रोड है।

अतएव नरोना चौराहे से घंटाघर तक की सड़क का नाम "काशी प्रसाद जायसवाल एक्सप्रेस रोड" किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है, ताकि जायसवाल समाज महापौर जी व कानपुर नगर निगम के प्रति आभारी रहे।

नगर आयुक्त ने अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया कि कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत विभागवार सड़कों की तालिका मुझे प्रेषित किया जाये।

..... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।**

प्रस्ताव संख्या–207

श्री अरविन्द यादव पार्षद वार्ड नं0–69 एवं 06 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :–सी0एल0 मेमोरियल हास्पिटल चौराहे का नाम अमर शहीद हेमू कालानी चौक किये जाने एवं सुन्दरीकरण करने हेतु।

अवगत कराना है कि हमारे वार्ड–69 सी0एल0 मेमोरियल हास्पिटल के पास एक चौराहा स्थित है। जिसका की आज तक किसी भी नाम से नामकरण नही हुआ है। उक्त चौराहे का नाम सिंन्धी समाज के वीर सपूत अमर शहीद हेमू कालानी चौक करने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करे।

..... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।**

प्रस्ताव संख्या–208

श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद वार्ड नं0–88 मा0सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :फूलबाग स्थित नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब एवं डी0ए0वी0 ग्राउन्ड को नगर निगम के अन्तर्गत लिये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव।

महोदया,

कृपया पार्षद श्री विकास जायसवाल जी द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि फूलबाग स्थित नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब एवं डी0ए0वी0 ग्राउन्ड है। संज्ञान में लाया गया है कि नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब की बिल्डिंग एवं डी0ए0वी0 ग्राउन्ड नगर निगम की सम्पत्ति है, जिसे पूर्व में नगर निगम द्वारा लीज पर दिया गया था, जिसकी लीज अवधि भी समाप्त हो गयी है।

अतएव फूलबाग स्थित नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब एवं डी0ए0वी0 ग्राउन्ड की लीज अवधि समाप्ति की जॉच कर नगर निगम द्वारा वापस लिये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

..... लीज की निमय व शर्तो का विधिक परीक्षण कराते हुये अगली कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–209

श्री शैलेश आनन्द पार्षद वार्ड नं0–02 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय :– दादा नगर इडसट्रियल एरिया वार्ड नं0–2 पानी की टंकी की बाउड्री के बाहर चारो तरफ दुकाने बनवाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि वार्ड नं0–2 दादा नगर इ0 एरिया में पानी टंकी की बाउड्री के बाहर सड़क के चारो तरफ लोगो ने अवैध दुकाने बना कर कब्जा कर रखा है । उक्त जगह पर लगभग 35 दुकाने नगर निगम द्वारा बनाई जा सकती है। कृपया उक्त जगह पर दुकाने बनवाने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त ने कहा कि क्षेत्रीय पार्षद के संज्ञान में लाते हुये कार्ययोजना तैयार की जाये और उसे नगर आयुक्त के माध्यम से माननीय महापौर को प्रस्तुत किया जाये।

..... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–210

श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद वार्ड नं0–88 मा0सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय : कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत चल रहे अवैध पार्किंग एवं वैध पार्किंग से वित्तीय वर्ष 2019– 20 से हुई वसूली की जानकारी मा0 कार्यकारिणी समिति को दिये जाने हेतु प्रस्ताव।

महोदया,

कृपया कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत कई अवैध पार्किंग स्टैण्ड चल रहे है, जिससे अनाप–शनाप जनता से धन वसूला जा रहा है। पिछले सप्ताह मोतीझील में आयोजित चर्म मेले में आप द्वारा बिना ठेके के संचालित हो रहे पार्किंग को पकड़ा गया था, जिसमें जनता से अनाप –शनाप वसूली की जा रही थी।

नगर आयुक्त जी मा0 कार्यकारिणी समिति को अवगत करायें कि कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत कितने अवैध पार्किंग स्टैण्ड चल रहे है एवं वैध पार्किंग स्टैण्ड के ठेके से वित्तीय वर्ष 2019–20 में कितनी वसूली हुई है। जिन पार्किंग स्टैण्डो का ठेका नहीं उठ पाया है/उठ नहीं पा रहा है, उन्हें जनता हेतु मुफत कर दिया जाये।

श्री अनूप कुमार शुक्ला ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा संचालित प्रत्येक पार्किंग स्थल पर बोर्ड लगवाये जायेंगे, किन्तु आज तक बोर्ड नही लगवाये गये है।

नगर आयुक्त ने समस्त जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह यह सूचना तैयार करें कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत किन–किन स्थानों पर ऐसे वाहन स्टैण्ड संचालित हो रहे है, जिनसे हमे राजस्व की प्राप्ति नही हो रही है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये तथा एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत लगने वाले वैध वाहन स्टैण्डों की सूची क्षेत्रीय पार्षदों को उपलब्ध कराई जाये।

..... **पूर्व की कार्यकारिणी समिति में पारित निर्णय का शक्ति से अनुपालन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–211

श्री जय प्रकाश पाल पार्षद वार्ड नं0–72 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

प्रस्ताव – वार्ड–72 दबौली में हरि मिलाप मिशन स्कूल के बगल में खाली पड़ी जगह पर दुकाने बनवाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि वार्ड–72 दबौली के अर्न्तगत हरमिलाप स्कूल के बगल में खाली जगह नगर निगम की पड़ी हुयी है। जिसमें पड़ोसी कबाड़ के दुकानदार ने अपना कूड़ा कबाड़ जमा कर रखा है। इस जगह पर रोड की तरफ 10X10 की 10 दुकान बनाई जा सकती है। कृपया प्रस्ताव को कार्यकारिणी में सम्मलित करने का कष्ट करें।

..... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–212

श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद वार्ड नं0–88 मा0सदस्य कार्यकारिणी समिति एवं हाजी सुहेल अहमद वार्ड–109 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषय : नगर निगम के अन्तर्गत विधि विभाग के माध्यम से कार्य कर रहे अधिवक्ता पैनल को रिवाइज करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव।

कृपया नगर निगम के अन्तर्गत विधि विभाग के माध्यम से विभिन्न मा0 न्यायालय में नगर निगम का पक्ष रखने हेतु अधिवक्ताओं को सम्बद्ध किया गया है, किन्तु कई वर्ष पुराने वादो में जबाब तक दाखिल नहीं हो पाया है, जिससे नगर निगम की छवि धूमिल होती है एवं कई वर्षो तक वाद चलते रहने के कारण नगर निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। नगर निगम में 8 रिटेनर है, उनके द्वारा विगत 02 वर्षो में क्या कार्य किया गया है, की जानकारी भी उपलब्ध करायी जाये, ताकि उनकी उपयोगिता प्रमाणित हो सके।

अतएव नगर निगम के अन्तर्गत विधि विभाग के माध्यम से कार्य कर रहे मा0 न्यायालय, कानपुर के अधिवक्ता पैनल को बदलने के साथ 8 रिटेनरों द्वारा विगत 02 वर्षो में किये गये कार्य की जानकारी मा0 कार्यकारणी समिति समक्ष उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

टेबुल प्रस्ताव सं0 –214 **श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–**

विषय :– **210 एम0एल0डी0 क्षमता एस0टी0पी0 बिनगवॉ से 40 एम0एल0डी0 रिसाइकिल्ड/ट्रीटेड वाटर दिये जाने के सम्बन्ध में।**

जैसा कि मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगणों को विदित है कि नगर निगम, कानपुर की प्राथमिकता है कि शहर में नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधायें मुहैया करायी जाये तथा उसका भार जनता पर जितना कम से कम हो सके डाला जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजस्व प्राप्ति के अन्यत्र संसाधन ढूढ़े जाये। इस सम्बन्ध में मैं मा0 कार्यकारिणी को अवगत कराना चाहूँगा कि नगर निगम के कुछ अधिकारी काफी उदासीनता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है, जिसके कारण नगर निगम को काफी राजस्व का नुकसान हो रहा है। उदाहरण के तौर पर निम्नानुसार उदाहरण/तथ्य मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. कानपुर नगर में Panki Thermal Power द्वारा एक प्रोजेक्ट लगभग 250 करोड़ का बनाया गय है, जिसमें उनको 40 MLD Recycled water अर्थात् परिवर्तित जल बिनगवाँ स्थित सीवर शोधन संयंत्र प्लांट से लेना है। उल्लेखनीय है कि उक्त सम्पत्ति यथा STP का स्वामित्व नगर निगम, कानपुर का है। नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता की पराकाष्ठा है कि नगर निगम के हितों को दरकिनार करके उक्त सम्बन्धित MOU त्रिपक्षीय हस्ताक्षर कर दिये गये जिसमें Panki Thermal Power को दिये जाने वाले शोधित जल हेतु किसी प्रकार के Rate Tariff द्वारा तय नही किया गया अपितु एक प्रकार से Free में जल दिये जाने की सहमति दे दी गयी है। वह 25 वर्षो के लिये है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि प्रतिमाह नगर निगम को करोड़ों रूपये कर के राजस्व की हानि होना स्वभाविक है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया इस ओर ध्यान देते हुये मा0 कार्यकारिणी समिति में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की जाती हैं।

..... **नगर आयुक्त को यथा नियम कार्यवाही कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0 –215 **श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–**

विषय :– **जोन–1 वार्ड–109 के अन्तर्गत स्थित भवन सं0 98/204 ए, लाइब्रेरी की खाली पड़ी ऊपरीतल को शैक्षिक–सांस्कृतिक हेतु सामाजिक संस्था सर सैय्यद एजूकेशनल एकेडमी को निःशुल्क या किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।**

सादर अवगत कराना है कि जोन–1 वार्ड–109 के अन्तर्गत स्थित भवन सं0 98/204 ए लाइब्रेरी का ऊपरीतल छत खाली पड़ा हुआ है। जिसमें आये दिन लोग कब्जा इत्यादि करने का प्रयास किया करते है। पूर्व में भी नगर निगम की अनेको भूमि पर अवैध रूप से कब्जे हो चुके है, जो कि आज तक खाली नही कराये जा सके है।

वही उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम की धारा 129 में प्राविधान है कि मा0 कार्यकारिणी समिति की समिति से उक्त अचल/चल सम्पत्ति किराये इत्यादि पर दी जा सकती है।

चूँकि सर सैय्यद एजूकेशनल एकेडमी एक सामाजिक संस्था है तथा शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से कार्य कर रही है।

अतः मेरा आपसे मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सादर अनुरोध है कि उक्त संस्था को लाइब्रेरी का ऊपरीतल छत निःशुल्क/किराये पर दिये जाने का कष्ट प्रदान करे। संस्था को नगर निगम द्वारा प्रदत्त समस्त शर्ते मान्य है। जनहित में अति आवश्यक है।

नगर आयुक्त ने कहा कि किसी भी सम्पत्ति को विना शासन की अनुमति के निःशुल्क आवंटन नही किया जा सकता है।

..... **नगर आयुक्त को सम्पत्ति विभाग द्वारा किराया निर्धारित कराते हुये कार्यवाही कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0 –216</u> **<u>श्री महेन्द्र पाण्डेय, उपसभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–</u>**

सफाई कर्मचारियों/गरीब के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु नगर निगम की कार्यकारिणी की अनुमति से महर्षि बाल्मीकि पुस्तकालय का निर्माण कराया गया है। इसके पूर्व सम्मानित कार्यकारिणी ने वर्ष 1998 में महर्षि बाल्मीकि उपवन का निर्माण कराया था और महर्षि बाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण उ0प्र0 सरकार के मा0 मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री शिव प्रताप शुक्ला, श्रीमती प्रेमलता कटियार, मा0 श्री सतीश महाना जी की उपस्थिति में तत्कालीन महापौर श्रीमती सरला सिंह द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में हुई घोषणा के अनुरूप महर्षि बाल्मीकि पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। जिसका विधिवत् संचालन पद्मश्री श्री गिरिराज किशोर जी की उपस्थिति में तत्कालीन महापौर श्री रवीन्द्र पाटनी जी द्वारा किया गया। पुस्तकालय का पुनः नव निर्माण तत्कालीन मा0 महापौर कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण जी ने कराया। पुस्तकालय का संचालन नगर निगम के सहयोग से महर्षि बाल्मीकि जन्मोत्सव केन्द्रीय मेला कमेटी द्वारा किया जा रहा है। निर्माण होने के बाद अन्य सामाजिक संस्थायें उक्त पुस्तकालय में कार्यालय आदि खोलने का प्रयास कर रही थी, जिसमें तत्कालीन महापौर कैप्टन जगतवीर सिंह द्रोण जी ने दिनांक 19.07.2017 को तत्कालीन नगर आयुक्त श्री अविनाश सिंह जी से वार्ता की थी, काफी प्रयासों के बाद महर्षि बाल्मीकि पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। इसमें भविष्य में कोई भी संस्था या कार्यालय की सिफ्टिंग नही की जाये।

सम्मानित मा0 महापौर/सम्मानित मा0 कार्यकारिणी समिति से मेरा निवेदन है कि महर्षि बाल्मीकि पुस्तकालय में भविष्य में कोई कार्यालय या संस्था का आवंटन न किया जाये। कृपया मेरे निवेदन पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

..... **तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबुल प्रस्ताव सं0 –217 **श्री सैरव देव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–**

विषय :– **कानपुर नगर निगम अन्तर्गत गृहकर, जलकर एवं सीवर कर एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम अन्तर्गत **गृहकर, जलकर एवं सीवर कर** एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) जमा किये जाने हेतु मा0 सदन द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी स्वीकृति हेतु शासन को पत्र भी दिया जा चुका है, मा0 सदन के मंशानुसार शासन से कोई भी दिशा–निर्देश नही प्राप्त हो पाया है।

अतः मा0 कार्यकारिणी से अनुरोध है कि **गृहकर, जलकर एवं सीवर कर** एक मुश्त (ओ0टी0एस0) योजना के समाधान हेतु मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त जी को अधिकृत करें।

अपर नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में व्यवसायिक सम्पत्तियों यथा मॉल इत्यादि पर एकमुश्त समाधान योजना की स्वीकृति नही प्रदान की गई है। शासनादेश के अनुपालन में तद्नुसार नगर निगम एवं जलकल विभाग में कार्यवाही करायी जायेगी।

..... **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में नगर निगम एवं जलकल विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) योजना पर कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

सभापति ने कहा कि शहर के कतिपय भवन स्वामियों द्वारा अपने भवन में प्लान्ट लगाकर गहरी बोरिंग कर भूगर्भ के पानी को मशीनों के माध्यम से शोधित फिल्टर कर बेच रहे है। इस पर भी नगर आयुक्त कार्यवाही की जाये। कानपुर नगर की सीवर समस्या का मुख्य कारण जानवरों के चट्टे है। चट्टे संचालक जानवरों का गोवर सीवर लाईन में बहा देते है, जिससे शहर का सीवर सिस्टम ध्वस्त हो गया/जाता है। अतएव दिनांक 11.11.2019 दिन सोमवार से चट्टों को हटाने हेतु मैं स्वयं निकलूँगी तद्नुसार संज्ञान लेते हुये नगर आयुक्त अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

श्री अनूप शुक्ला ने कहा कि जे0 के0 रेयान की भूमि की लीज समाप्त हो गयी है,जिसे कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री–होल्ड कर दिया गया है जबकि नगर निगम की सहमति के बिना के0डी0ए0 फ्री–होल्ड नही कर सकता है साथ ही प्रकरण हाईकोर्ट में लम्बित भी है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि प्रश्नगत् प्रकरण में यदि न्यायालय के निर्णय मे यह बात स्पष्ट होती है कि गलत मंशा से कार्य किया गया है तो क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, इसको पुलिस डिसाइड करेगी।

सभापति ने सभी सदस्यों को आज दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई कार्यवाही समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यवत करने हेतु कहा।

..... **सभी सदस्यों ने आज दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुई कार्यवाही समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।**

अन्त में सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही के समापन किया गया।

ह0.....
(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/सभापति